कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक 3172 /12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 24/02/ 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा एवं अल्मोड़ा।

विषय :— नगरकोटिया से कोठा मोटर मार्ग (प्रस्ताव सख्या 9043 / 2015)।

संदर्भ :— नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्ति दिनांक 23.02.2016।

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण में लगायी गयी आपत्ति का उत्तर नोडल अधिकारी को ऑन–लाइन प्रेषित किये जाने पर नोडल अधिकारी द्वारा पुनः निम्न आपत्तियां सूचित की गयी है–

DFO may provide point wise reply to objections from nodal along with numbered annexures in support of the same. The present reply does not correspond to the points raised by regional office.

RO- obj are following-
1. In column D of Part-I, justification for locating the project in the forest area is not given.
2. Under FRA, area has not been mention ed in the proceeding s of District Level Committee meeting as well as FRA Certificate.
3. DC signed FRA Certificate on 04/12/2014 but the Tehsildar has put the date as 18/11/2014 under his signature in the same certificate.
4.There are 199 trees over 0.495 ha which are proposed to be felled. State Govt. explore alternative alignment to reduce the no. of trees to be felled and submit revised proposal, if necessary.
5. Above shortcomings/discrepancies may be removed.

उक्त आपत्तियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करे ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय

(प्रेम कुमार)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

पत्रांक सैमां / 12-1 / दिनांक 29/2/16
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० रानीखेत
उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर [illegible]
व हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,

Cf 9043 (देघाट-चिन्तोली मो०मार्ग से नया(को

DFO may provide consolidated point wise reply to the objections of Ro/nodal officer date 24-02-2016.

पत्रांक मेमो / 12-1 (2) / दिनांक 9-6-2016

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत। कृपया बिन्दुवार सूचना प्रस्तुत की जाय। बिना बिन्दुवार सूचना के प्रकरण अग्रसारित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679
E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1467 /36सी. दिनांक रानीखेत जून 28/ ,2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– नगरकोटिया से कोठा मोटर मार्ग।(प्रस्ताव संख्या 9043/2015)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक मैमो/12–1(2) दिनांक 09.06.2016 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	In Column D of Part-I, justification for locating the project in the forest area is not given	In Column D of Part-I, justification for locating the project in the forest area is given and scan copy of Part-I Attached.
2.	Under FRA area has not been mention in the proceeding of District Level Committee meeting as well as FRA Certificate.	Area has been mentioned in the proceeding of District Level Committee meeting.
3.	DC signed FRA Certificate on 04/12/2014 but the Tehsildar put the date as 18/11/2014 under his signature in the same certificate.	Tehsildar is not member of committee. After inpections of site an area Tehsildar recomend the file for approvel on the date 18-11-2014
4.	There are 199 trees over 0.495 ha which are proposed to be felled. State Govt. explore alternative alignment to reduce the no. of trees to be felled and submit revised proposal, if necessary.	There is not any alternative alignment to reduce the no of trees.
5.	above shortcomings/discrepancies may be removed.	Yes removed.

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

वन भूमि का औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (1.825किमी.) (0.495है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 827/III(2)/06–76(प्रा.आ.)/2005 टी.सी. दिनांक 28.03.2006 के द्वारा 3.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 53.40 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से उपरोक्त ग्रामसभाओं को आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ मिलेगा तथा जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय स्याल्दे के साथ–साथ रेल हैड रामनगर से सीधे यातायात से जुड़ने की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु स्याल्दे आने–जाने की सुविधा प्राप्त होगी। प्राकृतिक आपदा आने पर ग्रामों में तुरन्त सहायता पहुॅचायी जा सकेगी।

अतः उपयुक्त मार्ग हेतु वन पंचायत भूमि 0.477है0 बेनाप राज्य वन भूमि 0.018है0 इस प्रकार कुल 0.495है0 वन भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार 0.495है0 वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

1·6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– देघाट चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी 13 से नायर कोटि नामक स्थान से कोठा गाँव तक मोटर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बेराल
तहसील भिक्यासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी 13 से कोठा गाँव तक परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि 0.018 हे0, वन पंचायत भूमि 0.477 हे0) अर्थात कुल 0.495 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बेराल द्वारा दिनांक 03/8/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बोड़ियाल नायर/कोठा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत अधिकारी
क्षेत्र — भिक्यासैंण
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ह0/– M. Singh
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत – बेराल
वि0ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 03/8/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बेरगल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाग	हस्ताक्षर
1	मोहन राम	मोहन राम
2	प्रेम राम	प्रेमराम
3	बच्चीराम	बच्चीराम
4	सीता देवी	सीता देवी
5	लीला देवी	लीला देवी
6	गंगा देवी	
7	रुद्धली देवी	
8	शेर सिंह	शेरसिंह
9	सोबन सिंह	सोबन सिंह
10	राजाराम	[illegible]
11	शोभा देवी	शोभा देवी
12	महेश्वरी देवी	
13	रुद्धली देवी	
14	गणेशी देवी	
15	सुन्दर सिंह	सुन्दर सिंह
16	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
17	गोपाल राम	गोपालराम
18	हरनीराम	हरनीराम
19	चन्द्रीराम	Chandri Ram
20	भैरवराम	भैरव राम

ग्राम पंचायत [illegible]

लीलाधर

भवानसिंह

हरसिंह

मनोहर सिंह

पार्वती देवी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 9 से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, स्याल्दे
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, स्याल्दे

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगरकोटिया से कोठा मोटर (———हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.018 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ......हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.495 हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील स्याल्दे) की दिनांक 18-11-015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एन०एस० नबियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री N.S NABIYAL उपजिलाधिकारी ——— अध्यक्ष
2— श्री बी०के० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी ——— सदस्य
3— श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——— सदस्य सचिव
4— श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र ——— सदस्य

उप जिलाधिकारी,
भिकियासैण (अल्मोड़ा)

सहायक विकास अधिकारी (स०क०)
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

वि0ख0 स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के कि०मी० 9 से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.495 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :– देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.825 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित **देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटियानामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (1.825 किमी.)** के निर्माण हेतु0.495 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/– 04/12/14
जिलाधिकारी

Ameen Pramar Patra/Arvind

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगर कोठिया से कोटा परियोजना के निर्माण हेतु 0.995 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date...04-12-014...at time...............................at Almora. in which application claiming rights of (Peepalgauan.....)... area measuring 1.620 hect. for the Construction of Basot-ghatti m/r 15 Peepalgaun Band to The Rdg..... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

04.12.14

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :...................................... **Dated:...............**

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..0.495....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.of Deghaat- Chintoli motor Road to Nagar Katya to village Kotha motor Road........ (Purpose for diversion of forest land) in..Almora.....district falls within jurisdiction of.1 Kotha village(s) in..Syalde....Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.495 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

11-014 — Tehsildar — तहसीलदार स्याल्दे, जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) — 04-12-14

S.D.M. — उप जिलाधिकारी, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

04.12.14 — जिला अधिकारी अल्मोड़ा — D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

ग्राम प्रधान, कोठा — 04/12/014

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ~~2.362~~ 0.495 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

04.12.17

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)